न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक 95/25

दिनांक 26.09.25

-- :: निर्णय :: --

प्रार्थी श्री चतुर्भुज .... पुत्र/~~पुत्री~~/~~पति~~ ... गेन्दीलाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम किशोरपुरा पटवार मण्डल गुगोर तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 18 में खातेदार/~~गैरखातेदार~~ का नाम/~~जाति~~ .... चतरू पुत्र गेन्दीलाल अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से .... चतुर्भुज .... अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी गुगोर से करवाने पर पटवारी ने .... चतरू पुत्र गेन्दीलाल के बजाय चतुर्भुज पुत्र गेन्दीलाल .... करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में चतरू पुत्र गेन्दीलाल के बजाय .... चतुर्भुज पुत्र गेन्दीलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम किशोरपुरा .... के खाता संख्या 18 .... में खातेदार/~~गैरखातेदार~~ का नाम/~~जाति~~ चतरू पुत्र .... गेन्दीलाल के स्थान पर सम्मानजनक रूप से ~~चतरू~~ चतुर्भुज पुत्र गेन्दीलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)